न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/पीडीआर/2154/2006/झालावाड

धनराज पुत्र शिवराम शर्मा मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी भवानी मण्डी जिला झालावाडा

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झालावाड

अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री मुकेश जैन वकील प्रार्थी
श्रीमती पुनम माथुर अति0 राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः.17.12.19

यह निगरानी धारा 23(बी) पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 78/2005 में पारित निर्णय दिनांक 30.1.2006 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी, झालावाड ने एक पत्र दिनांक 25.2.2002 को जिला कलक्टर, झालावाड को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर (रसद) झालावाड के आदेश दिनांक 28.3.2001 से तहसील पचपहाड एवं पिडावा के लिए सार्वजनक वितरण प्रणाली के तहत श्री धनराम प्रा. मै0 शर्मा ट्रेडिंगग कम्पनी भवानीमण्डी को थोक विक्रेता नियुक्त किया गया था। फर्म को राजस्थानखाद्यान एवं अनय आवश्यक पदार्थ (वितरणएवं विनियमन) 1976 के तहत अधिकार पत्र संख्या 1047 दिनांक 27.4.2000से आदेश जारी किया हुआ है। फर्म द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रो के आधार पर ज्ञात हुआ कि फर्म द्वारा अन्तोदय अन्यय योजना का कम दर का गेहूं अधिक दर पर बेच दिया है तथा नियमों का उल्लंघन किया है। जिससे फर्म के विरूद्व कुल बकाया राशि रूपये 181866/- बकाया है। अतः वसूली की कार्यवाही की जावे। जिला कलक्टर, झालावाड ने

अपने निर्णय दिनांक 14.7.2004 से उक्त राशि का प्रमाण पत्र प्रपत्र 2 की पुष्टि की एवं जिला राजस्व लेखा अनुभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु लिखा। इसके विरूद्ध अपीलार्थी प्रार्थी द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.1.2006 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर निगरानीकार ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार प्रार्थी संस्था थोक विक्रेता हैण्डलिंग एवं ट्रान्सपोर्टर के रूप में सरकार को सवाएं उपलब्ध करवा रहा है जिसमें कोई लापरवाही नहीं बरती है। प्रार्थी के पास 3 क्विन्ट 96 कलो गेंहू था वह भी विभाग को लौटाना चाहता था परन्तु विभाग ने स्वीकार नहीं किया। प्रार्थी की ओर निकाली राशि में से 80,233 रूपये का समायोजना होना आवश्यक है। इस राशि में पंचायत समिति झालरापाटन , पंचायत समिति सुनेल, पचांयत समिति डग से माह मार्च तक की बकाया राशि तथा टी ओ टी टेक्स की राशि है जो समायोजित की जाना आवश्यक है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को उक्त राशि का स्पष्ट रूप से समायोजन करने का आदेश देना चाहिये था। बिना समायोजन किये पी.डी.आर. के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रार्थी समय समय पर राशि जमा कराता रहा है जिसे भी समायोजित नहीं किया गया है। अतः उक्त राशि समायोजन का आदेश दिया जावे।

विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा नियमों के विरूद्ध कार्य किया गया है जिससे उसके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। जिससे प्रार्थी की कोई राशि समायोजन योग्य है तो वहां सबूतों के साथ बताये। इस निगरानी में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह मानते हुए कि जिला कलक्टर, झालावाडा के समक्ष अपीलार्थी वर्तमान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना व्यक्त करने से एकतरफा कार्यवाही की गई है, जिससे अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिला एवं अपीलार्थी द्वारा राशि समायोजन का निवेदन किया जाता रहा है, जिससे प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है।

हमारे समक्ष इस निगरानी में प्रार्थी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पंचायत समिति, झालरापाटन, पंचायत समिति सुनेल, पंचायत डग में माह मार्च तक की बकाया राशि एवं टी ओ टी टेक्स की राशि कुल 80, 233 रूपये का समायोजन किया जावे। चूंकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में वर्तमान प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी के अनुसार उक्त राशि पंचायत समितियों की ओर बकाया है, तो वह जिला कलक्टर, झालावाड के समक्ष अपने सभी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर समायोजन हेतु निवेदन करें। जिला कलक्टर सभी साक्ष्यों पर विचार कर विधि अनुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करें। ऐसी स्थिति में हम इस निगरानी में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 30.1.2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य